जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः– ज.वि.प्रा. / अति.मु.न.नि. / बी.पी.सी.(बीपी) / 2024 / डी–99 दिनांकः– 18/01/2024

(भवन निर्माण स्वीकृति पत्र)

मैसर्स कल्याण बिल्डर्स,
जरिये भागीदार,
श्री आयुष शर्मा,
सी–232, ए–1, तिलक नगर,
दयानन्द मार्ग, जयपुर।

विषयः– पुर्नगठित भूखण्ड संख्या एन.के.–18 एवं एन.के.–19, जविप्रा योजना निलय कुंज, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 280वीं बैठक दिनांक 08.11.2023 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिये गये निर्णयानुसार भवन निर्माण स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है:–

1.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	2747.98 व.मी.	
2	भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई	18 मी, 12 मी व 12 मी.	
3	लीजडीड जारी दिनांक	13.09.2023	भू–उपयोगः– आवासीय प्रयोजनार्थ
4.	पुर्नगठित / एकल पट्टा / उप विभाजन	पुर्नगठित भूखण्ड	
5.	प्रस्तावित भवन मानचित्रों का प्रयोजन	आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	
6	वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	श्री श्रीकृष्ण, सी.ए. / 99 / 25461	

अनुमोदित मानदण्डः–

1.	भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि	भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात **दिनांक 18.01.2031 तक** प्रभावी है।				
2.	सैटबैक	सामने–I	पार्श्व–I	पार्श्व–II	पीछे	
		9.14 मी.	9.14 मी.	9.14 मी.	12.19 मी.	
3.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	19,723.59 व.मी.				
4.	बी.ए.आर.	5.10 (14,022.77 व.मी.)				
5.	आच्छादित क्षेत्रफल	37.78 प्रतिशत (1038.25 व.मी.)				
6.	ऊँचाई	0.90 मी. (प्लिन्थ) + 3 मी. (स्टिल्ट) + 36 (प्रथम से 12 तल) = 39.90 मी. + 6 मी. (मशीन रूम) कुल 45.90 मी.				
7.	तलों की संख्या	(बेसमेन्ट + स्टिल्ट + 12 तल)				
8.	पार्किंग	कार		स्कूटर	बस	कुल ईसीयू
		सरफेस	मैकेनिकल			
		109	–	76	–	134.33

तथ्यः–

1.	प्रथम अनुमोदन / संशोधन	प्रथम अनुमोदन
2.	समिति की बैठक संख्या एवं दिनांक	280वीं बैठक दिनांक 08.11.2023

अनापत्ति प्रमाण पत्रः–

1.	अग्निशमन विभाग	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
2.	पर्यावरण विभाग का Consent to operate	सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 व.मी. से कम है। अतः लागू नहीं है।
3.	भारतीय नागरिक उड्डयन विभाग	एयरपोर्ट एन.ओ.सी. दिनांक 26.10.2023 के अनुसार 100 मी. ऊँचाई अनुज्ञेय है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 25.10.2031 तक वैध है। साईट कॉर्डिनेट्स निम्नानुसार है:–

26 48 22.77 N	75 53 57.96 E
26 48 24.96 N	75 53 58.01 E
26 48 22.79 N	75 53 59.45 E
26 48 24.95 N	75 53 59.48 E

सामान्य शर्तेः–

1. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन–09, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
2. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगें।
3. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
4. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
5. विकासकर्ता द्वारा भवन के परिसर को स्वीकृत मानचित्र में दर्शित/निर्धारित अनुसार ही उपयोग में लिया जावेगा।
6. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(x) के अनुसार भवन में अपेक्षित सेवाओं यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाऐं, वातानुकूल सेवाऐं आदि से संबंधित मानचित्रों के दो सैट जो कि आवेदित परियोजना की डिजाईन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनुबंधित किये गये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं परियोजना के स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही प्रमाणित किये हुये, अधिकतम 90 दिवस की अवधि में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।
7. प्रकरण बहुमंजिला भवन होने के कारण भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(xi) के अनुसार आप द्वारा भवन में अग्निशमन संबंधित प्रावधान एन.बी.सी. के अनुसार रखे जाने आवश्यक होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। भवन निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात् अधिवास प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. परियोजना में भूखण्ड के क्षेत्रफल, प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल एवं ऊँचाई अनुसार भवन विनियम 2020 से संबंधित प्रावधान संख्या 10.11 (पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम), नियम 10.11.1 (वर्षा जल संग्रहण), 10.11.2 व नविवि के आदेश दिनांक 07.09.2021 (अपशिष्ट जल का शुद्विकरण एवं रिसाईकिलींग हेतु प्रावधानों की अनुपालना) 10.11.3 (पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण), 10.11.4 (सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल), 10.11.5 (सौर ऊर्जा संयत्र), 10.11.2.5 व 16.3 (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट), 12.1 (पार्किंग क्षेत्र की पालना), 12.3 (विद्युत आवश्यक की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधान), विनियम संख्या 15 (निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया), नियम संख्या 15.5 (भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण) के प्रावधानों की अनुपालना की जानी होगी।
9. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता की जावेंगी।
10. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
11. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastrcture (CTI) के प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
12. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भूखण्ड से लगती हुई सम्पूर्ण सभी सड़कों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित किया जाना होगा।
13. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए. आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखा जाना होगा।
14. आकाशीय बिजली से बचाव हेतु भवन में Thunder stick (तड़ित चालक) का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।
15. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग उपलब्ध करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
16. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।
17. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं हैं।
18. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
19. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
20. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
21. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।

22. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात नियमानुसार पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं।

23. प्रस्तावित परियोजना की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक हैं। अतः अनुमोदित भवन मानचित्र जारी किये जाने के पश्चात 90 दिवस की अवधि में संरचनात्मक सुरक्षा के उपायों से संबंधित समस्त दस्तावेजों मय स्ट्रक्चरल डिजाईन मानचित्रों को राजकीय स्तर के संस्थानों यथा आईआईटी/एनआईटी/राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अथवा विनियम–19 व 20 के अनुसार पंजीकृत तकनीकीविज्ञ से प्रमाणित करवाकर आवश्यक रूप से नगरीय निकाय में प्रस्तुत की जानी होगी।

24. परियोजना में आग से बचाव हेतु भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2 के अनुसार प्रत्येक आवासीय इकाई में बालकनी प्रस्तावित की गई है, उसको अन्य उपयोग अथवा कमरों में शामिल नहीं किया गया जावेगा।

25. आप द्वारा लेबर सेस की प्रति वर्ष शेष राशि स्वयं के स्तर पर लेबर विभाग में जमा करवाई जानी होगी।

विशेष शर्ते:–

1. प्रश्नगत भूखण्ड की फ्री होल्ड लीजडीड दिनांक 13.09.2023 को जारी की गई हैं। नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.12.2021 के प्रावधान अनुसार फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करने की दिनांक से 3 वर्ष तक पुर्नग्रहण शुल्क लेय नहीं होगा। 3 वर्ष पश्चात पुर्नग्रहण शुल्क नियमानुसार देय होगा। अतः भवन निर्माण अवधि 12.09.2026 तक देय होगी।
2. यह भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात दिनांक 18.01.2031 तक प्रभावी हैं।
3. यह भवन निर्माण स्वीकृति आप द्वारा मांग राशि जमा होने एवं बेटरमेन्ट लेवी हेतु निम्नानुसार पांच उत्तर दिनांकित चैक प्रस्तुत किये जाने के आधार पर दी जा रही है:–

बैंक का नाम	चैक संख्या	राशि	किश्त	दिनांक
ICICI BANK	001065	42,63,405/–	प्रथम	21.12.2024
	001066	42,63,405/–	द्वितीय	21.09.2025
	001067	42,63,405/–	तृतीय	21.06.2026
	001068	42,63,405/–	चतुर्थ	21.03.2027
	001069	42,63,405/–	पंचम	21.12.2027

यदि आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होते हैं तो नियमानुसार ब्याज देय होगा एवं आप द्वारा बेटरमेन्ट लेवी राशि जमा नहीं करवायें जाने पर भवन निर्माण स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 276वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होने पर भविष्य में आपकी किसी भी अन्य परियोजना का जविप्रा द्वारा अनुमोदन नहीं किया जावेगा तथा मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) द्वारा जविप्रा एक्ट की धारा 32, 33, 34ए एवं अन्य संबंधित धाराओं के प्रावधानानुसार उक्त परियोजना का कार्य को मौके पर रूकवाने हेतु सूचित किया जाकर प्रवर्तन शाखा द्वारा भवन को सीज करने की अविलम्ब कार्यवाही की जावेगी।

संलग्नः– मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (07 मानचित्र)

भवदीय,

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रर्वतन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (07 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन–09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (07 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है तथा बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्रश्नगत योजना में भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.1 के अनुसार आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण (Upgradation) हेतु विकास योजनाऐं तैयार किये जाने बाबत सूचनार्थ प्रेषित है।
3. प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पीटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. उपायुक्त राजस्व–प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 6()/उपा. रा (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।
6. श्री विष्णु मोहन झा, चीफ एयरपोर्ट अधिकारी, जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर को पत्र क्रमांक 3076–78 दिनांक 26.10.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

SPACE GRID ARCHITECTS
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG, BAPU NAGAR, NEAR
JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,
0141-4005506 (O) Email: -info.spacegrid@gmail.com

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In reference to Project "**KALYAN EVA**" situated at Plot No. NK-18, NK-19, Nilay Kunj, Jaipur.

I, Shri Krishan, architect of the Project does solemnly declare that the open area in the project is as follows: -

	Area (in sqm)
Plot Area (A)	2747.98
Stilt Floor Area Without Projection (B)	967.40
Guard Room Area (C)	5.66
Total Open Area [A-(B+C)]	1,774.92

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

अनुमोदित

SHEET NO-01

AREA CALCULATION (AREA IN SQ. MTR.)

S.NO	FLOOR	GROSS BUILTUP	SERVICE SHAFT	FIRE ESCAPE STAIR	ARCHITECTURAL ELEMENT	LIFT WELL	B.A.R.	FACILITIES
1	LOWER BASEMENT FLOOR	1792.92	-	-	-	8.00	-	-
2	UPPER BASEMENT FLOOR	1815.78	-	-	-	8.00	124.70	-
3	STILT FLOOR	1225.52	-	19.93	-	8.00	288.51	288.51
	GUARD ROOM	5.66	-	-	-	-	-	-
	ELECTRIC SUBSTATION	31.52						
4	1st FLOOR	1196.84	1.39	19.93	33.39	8.00	1134.13	-
5	2nd FLOOR	1196.84	1.39	19.93	33.39	8.00	1134.13	-
6	3rd FLOOR	1196.84	1.39	19.93	33.39	8.00	1134.13	-
7	4th FLOOR	1196.84	1.39	19.93	33.39	8.00	1134.13	-
8	5th FLOOR	1196.84	1.39	19.93	33.39	8.00	1134.13	-
9	6th FLOOR	1196.84	1.39	19.93	33.39	8.00	1134.13	-
10	7th FLOOR	1196.84	1.39	19.93	33.39	8.00	1134.13	-
11	8th FLOOR	1196.84	1.39	19.93	33.39	8.00	1134.13	-
12	9th FLOOR	1196.84	1.39	19.93	33.39	8.00	1134.13	-
13	10th FLOOR	1196.84	1.39	19.93	33.39	8.00	1134.13	-
14	11th FLOOR	1196.84	1.39	19.93	33.39	8.00	1134.13	-
15	12th FLOOR	1196.84	1.39	19.93	33.39	8.00	1134.13	-
16	STAIR CASE MUMTY/ ARCHITECTURAL ELEMENT	490.11	-	-	-	-	-	-
17	TOTAL	19723.59	-	-	-	-	14022.77	

construction checked at plinth level before proceeding to further construction

S.NO.	REFERENCE :-
1.	TOTAL PLOT AREA = 2747.98 SQ.MT.
2.	STANDARD B.A.R. = 2747.98 X 2.00 = 5495.96 SQ.MT.
3.	PROPOSED B.A.R. = 14022.77 SQ.MT. (5.10) PROPOSED ADDITIONAL B.A.R. = (14022.77) - (5495.96) = 8526.81 SQ.MT.
4.	PERMISSABLE GROUND COVERAGE = 40 % (1099.17 SQ. MT.)
5.	PROPOSED GROUND COVERAGE = 37.78% (1038.25 SQ. MT.) 1225.52 (Stilt Floor Gross Builtup) - 125.95 (Balcony\ Open Terrace) - 19.93 (Fireescape Staircase) - 33.39(Chajja) - 8.0 (Lift Well) = 1038.25 Sq.Mt.
6.	REQUIRED LANDSCAPE AREA (20 %) = 549.58 SQ.MT.
7.	PROPOSED LANDSCAPE AREA (20.03 %) = 550.61 SQ.MT.
8.	PERMISSABLE HEIGHT AS PER BYE LAWS = PLINTH (1.20) + STILT (6.50) +(1.5 X Road Width + Front Setback) + 7.75 (Mumty & Machine Room) PLINTH (1.20) + STILT (6.50) + (1.5 x 18 + 9.00) +7.75 = 1.20 + 6.50 + 36.00 +7.75
9.	PROPOSED HEIGHT = PLINTH (0.90)+STILT (3.00) + 36.00 + 6.00 (Mumty & Machine Room) PLINTH (0.90)+ 39.00 +6.00 = 45.90 M
10.	E.C.U. REQUIRED :- RESIDENCIAL = 14022.77 / 115 = 121.93 + 10% (VISITOR PARKING) E.C.U. = 134.0 (CAR = 101 , SCOOTER = 100)
11.	E.C.U. PROPOSED :- 134.33 E.C.U. CAR = 109 , SCOOTER = 76
12.	ELECTRIC VEHICLE POINT REQUIRED = 14 ELECTRIC VEHICLE POINT PROPOSED = 14
13.	NUMBER OF FLATS/ UNITS = 144
14.	MAXIMUM B.A.R ON STILT FLOOR (30% OF STILT FLOOR AREA) 30% OF 1225.52 SQ.MT. = 367.65 SQ.MT. PROPOSED B.A.R ON STILT FLOOR = 288.51 SQ.MT.
15.	FACILITIES REQUIRED ON STILT FLOOR:- REQUIRED MINIMUM 2% OF TOTAL PROPOSED B.A.R. (280.45 SQ.MT.) OR 50.0 SQ.MT. (WHICH EVER IS LESS) PROPOSED FACILITIES ON STILT = 288.51 SQ.MT. (2.05 %)

	CAR	SCOOTERS
Lower Basement Floor	44	17
Upper Basement Floor	33	12
Stilt Floor	32	12
OPEN	00	35
TOTAL	109	76

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

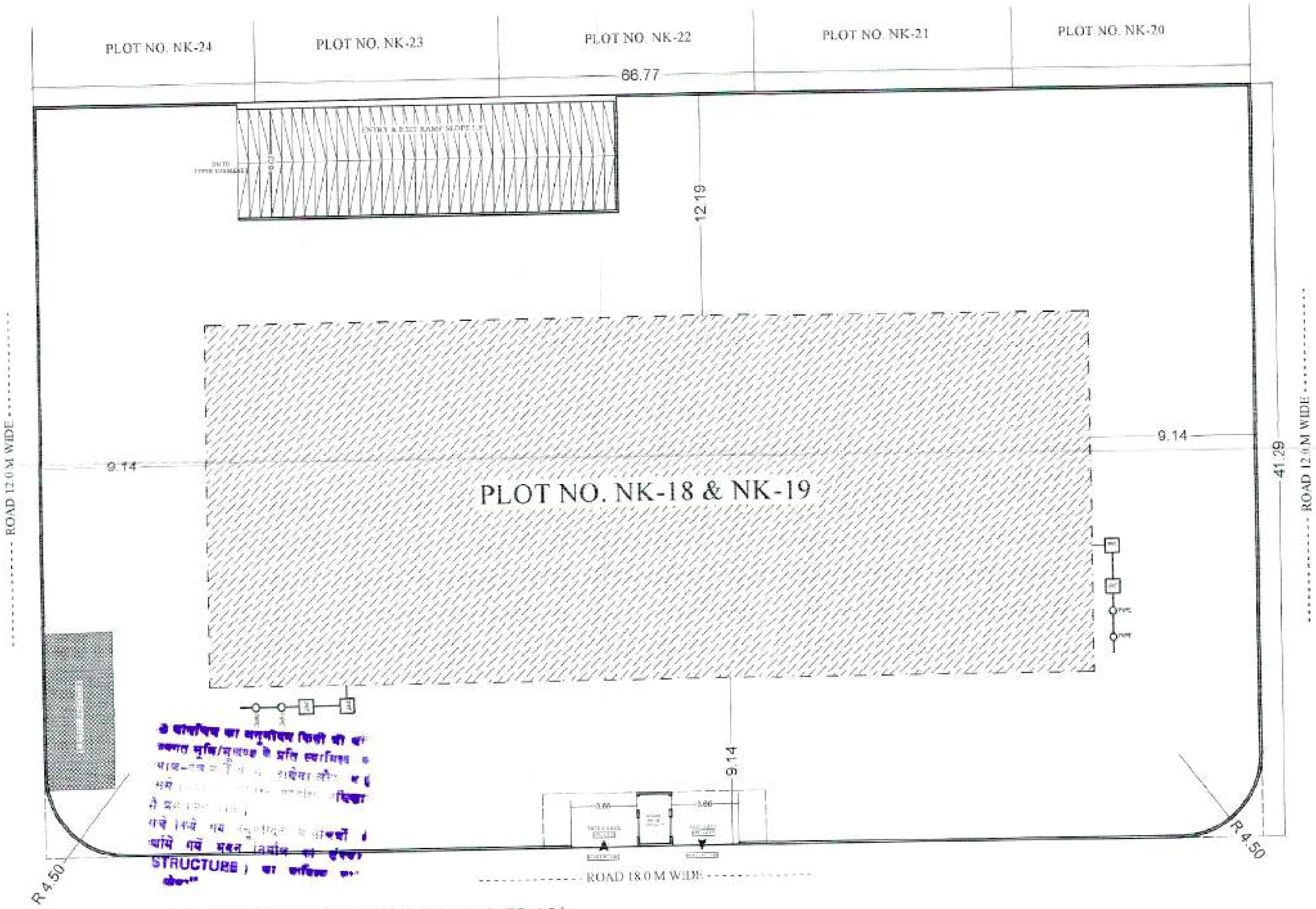

SITE PLAN & RAIN WATER HARVESTING PLAN

SCALE 1:200

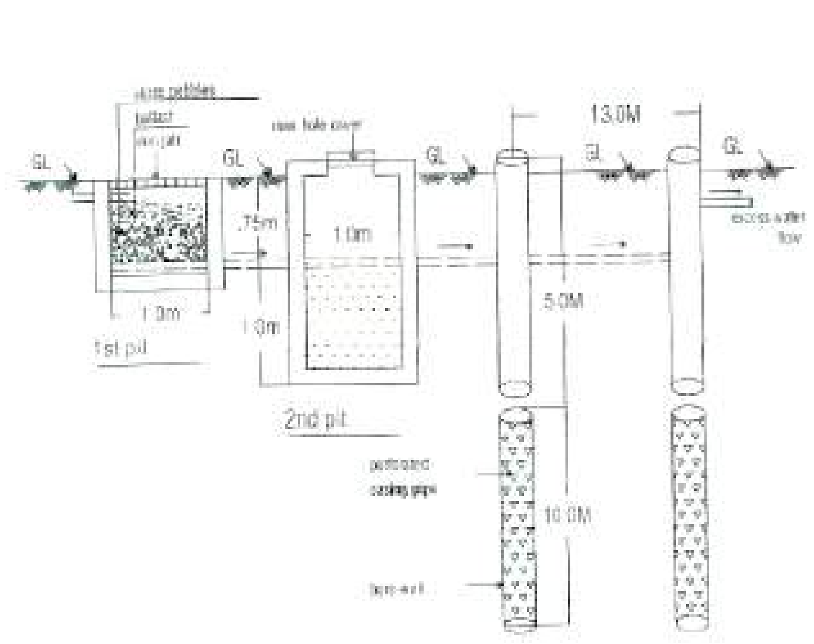

SECTION THROUGH R.W. HARVESTING PITS

OWNER

For M/s KALYAN BUILDERS

Partner

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. NK-18, NK-19, NILAY KUNJ, JAIPUR

ARCHITECT :-

SPACE GRID

C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015

PH-09314910/66,0141-4005506 (O)

Email:-info.spacegrid@gmail.com

ARCHITECT

SHEET NO-02

construction checked at plinth level before proceeding to further construction

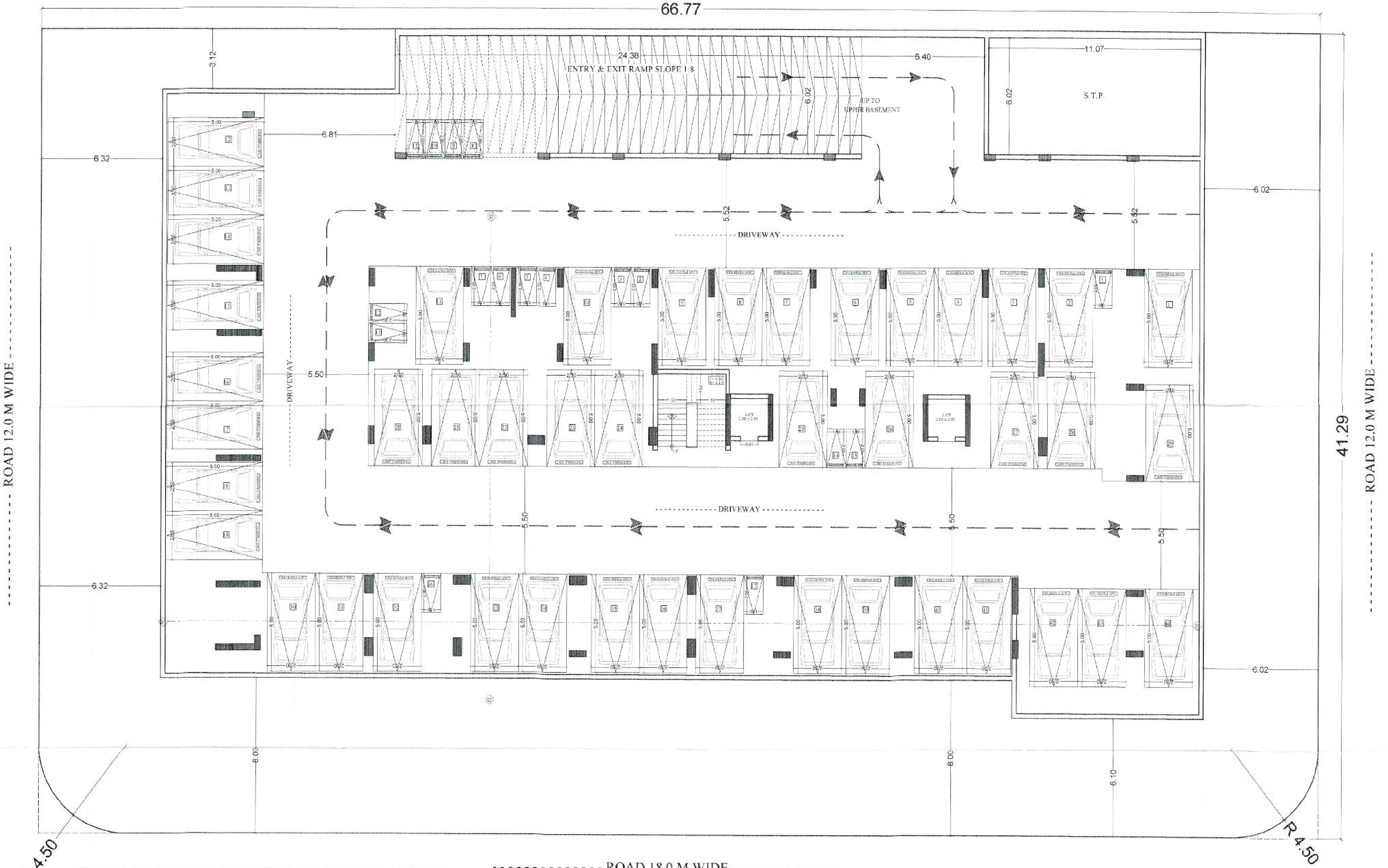

LOWER BASEMENT PLAN WITH CIRCULATION

ROAD 18.0 M WIDE

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/25451

SCALE = 1:100

	PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
W S N E	PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. NK-18, NK-19, NILAY KUNJ, JAIPUR	For M/s KALYAN BUILDERS Partner	SPACE GRID C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG, BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR 302015 PH-09314918766, 0141-4006506 (0) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-03

UPPER BASEMENT PLAN WITH CIRCULATION

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (SP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451

SCALE = 1:100

W S N E	PROJECT :- PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. NK-18, NK-19, NILAY KUNJ, JAIPUR	OWNER For M/s KALYAN BUILDERS Partner	ARCHITECT :- SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005606 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-04

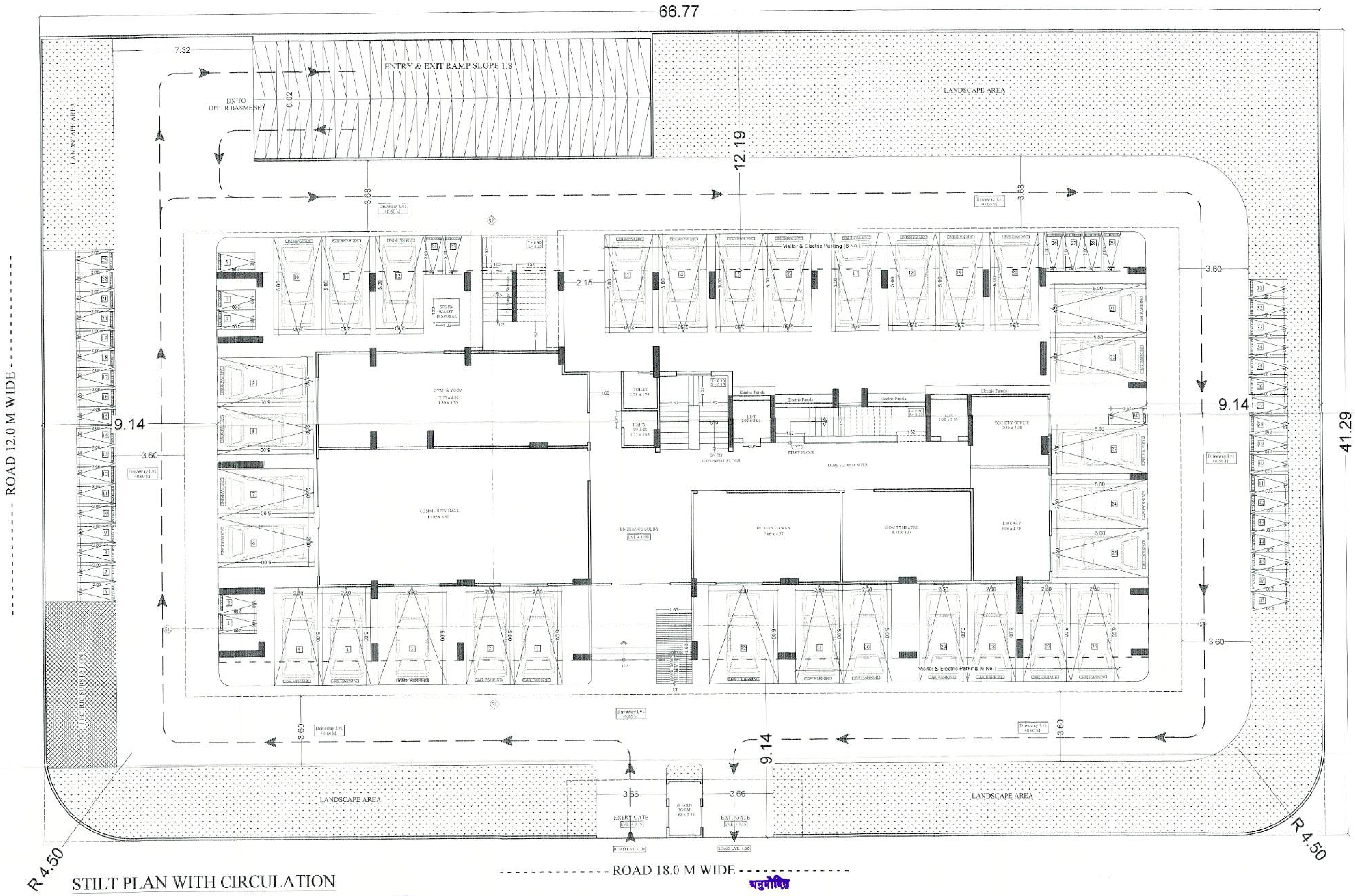

STILT PLAN WITH CIRCULATION

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/.../25451

SCALE = 1:100

	PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
W S N E	PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. NK-18, NK-19, NILAY KUNJ, JAIPUR	For M/s KALYAN BUILDERS Partner	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918765,0141-4005506 (O) Email - info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-05

अनुमोदित
उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

1st FLOOR PLAN

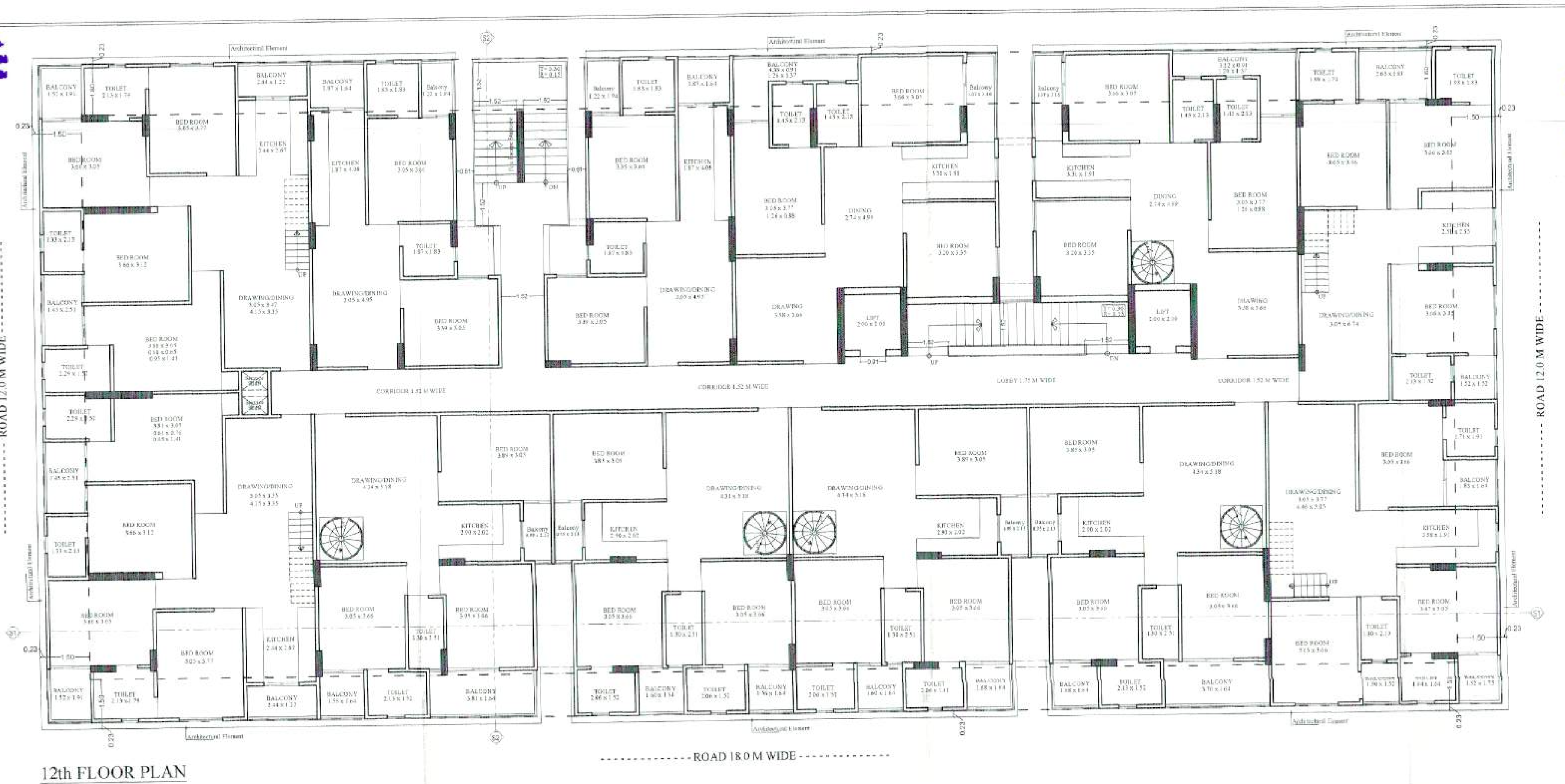

12th FLOOR PLAN

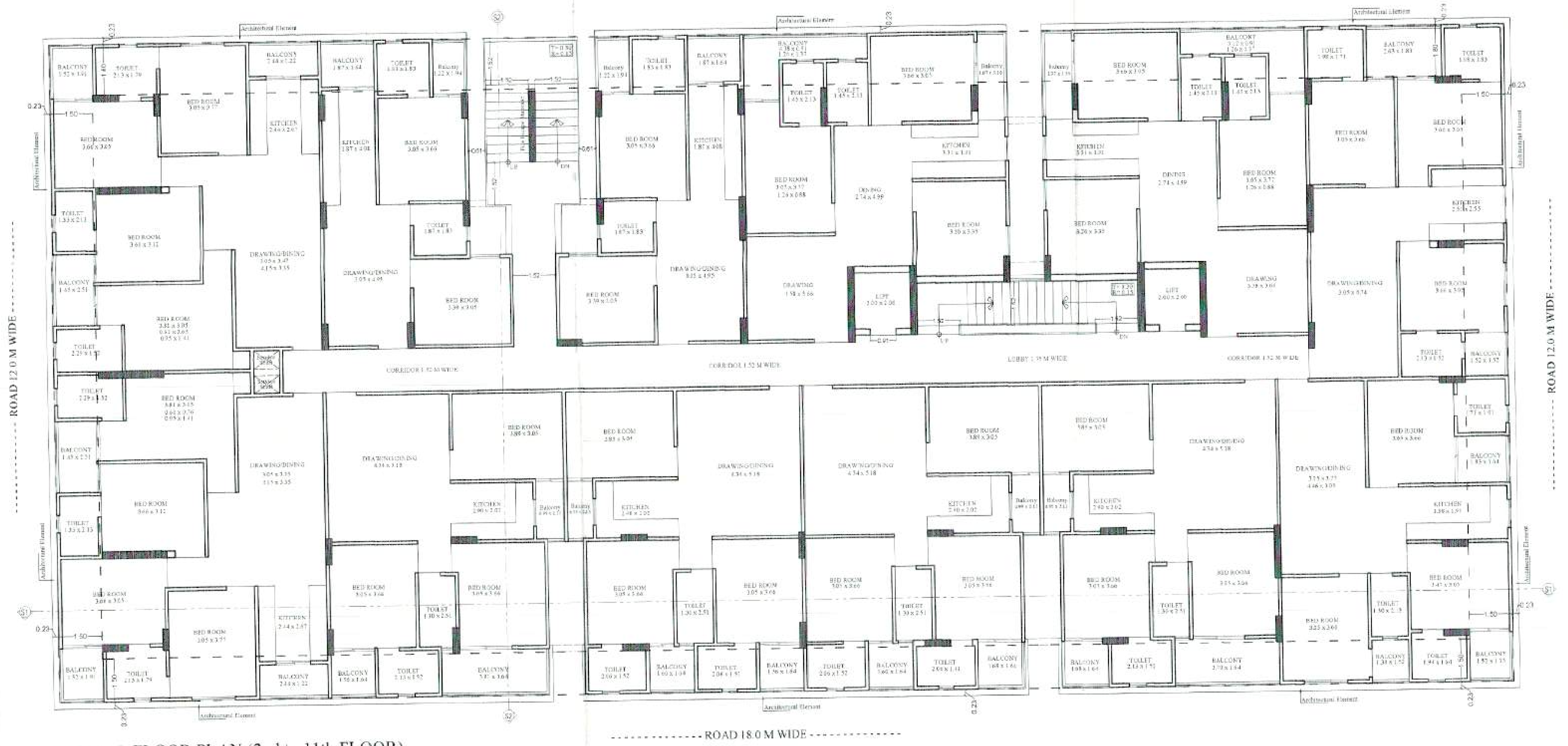

TYPICAL FLOOR PLAN (2nd to 11th FLOOR)

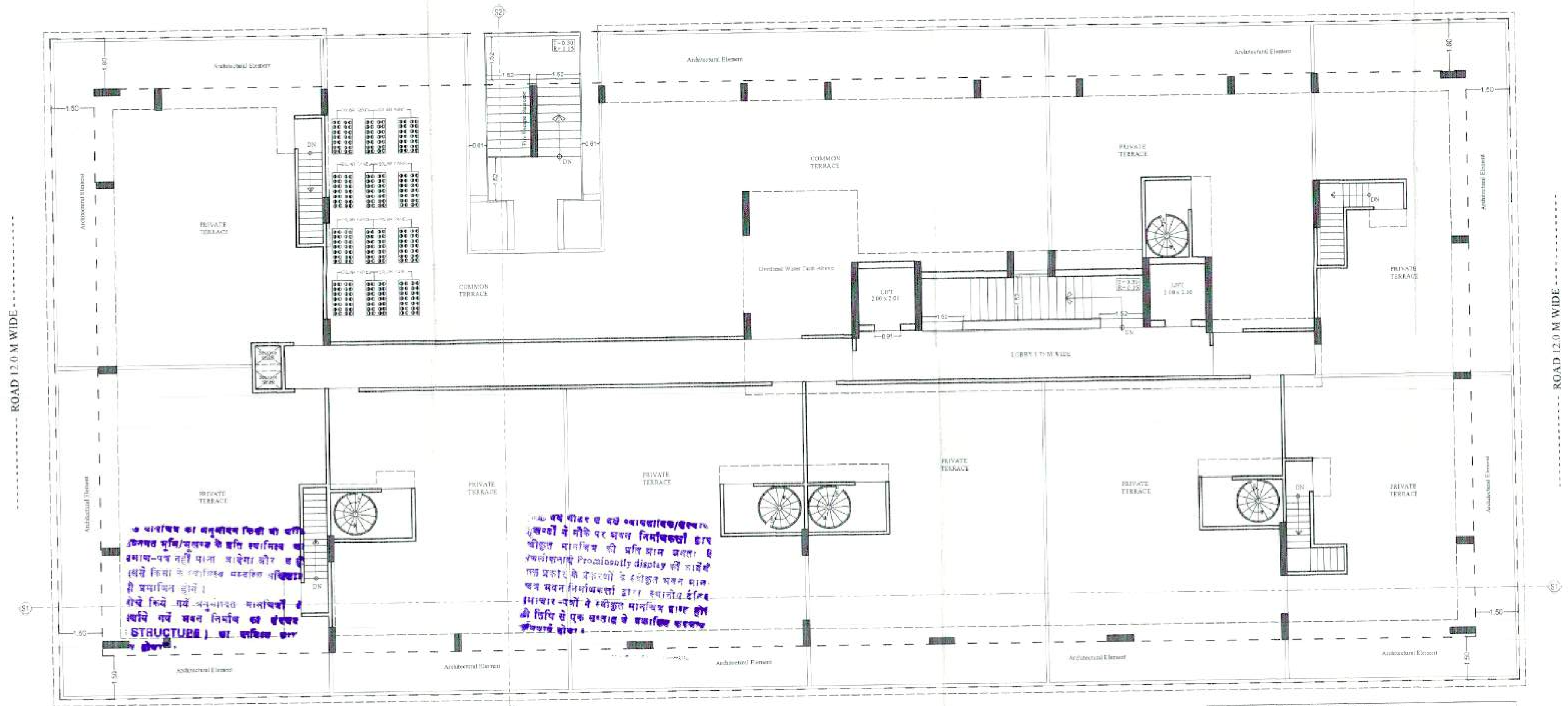

TERRACE PLAN

TERRACE FLOOR AREA =1187.45 sq .mt.
REQUIRE 25 % COMMON AREA = 296.86 Sq.mt. PROPOSED COMMON TERRACE = 335.98 Sq.mt. (28.29%)

OWNER

For M/s KALYAN BUILDERS
Partner

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. NK-18, NK-19, NILAY KUNJ, JAIPUR

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
ARCHITECT

SHEET NO-06

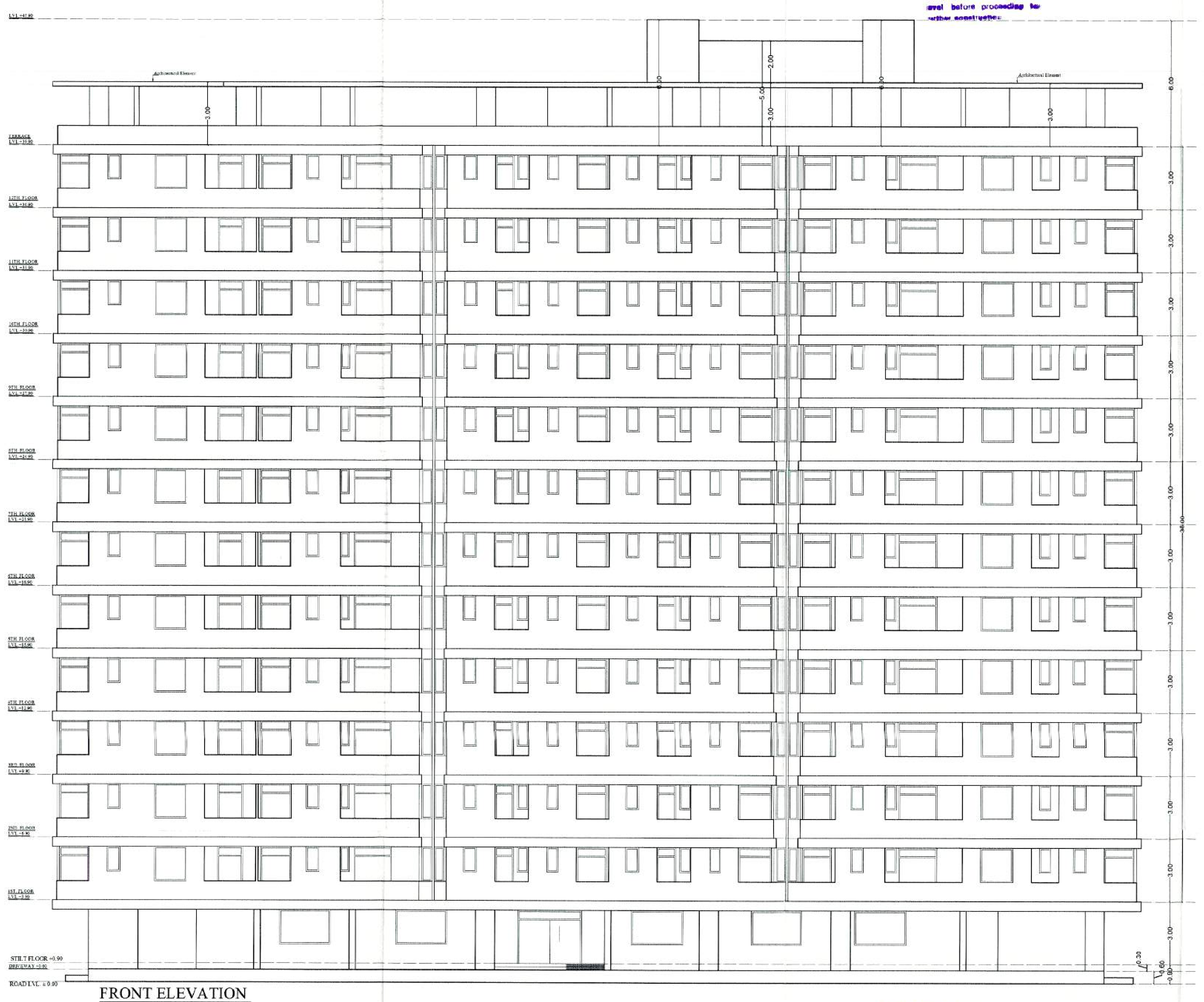

FRONT ELEVATION

REAR ELEVATION

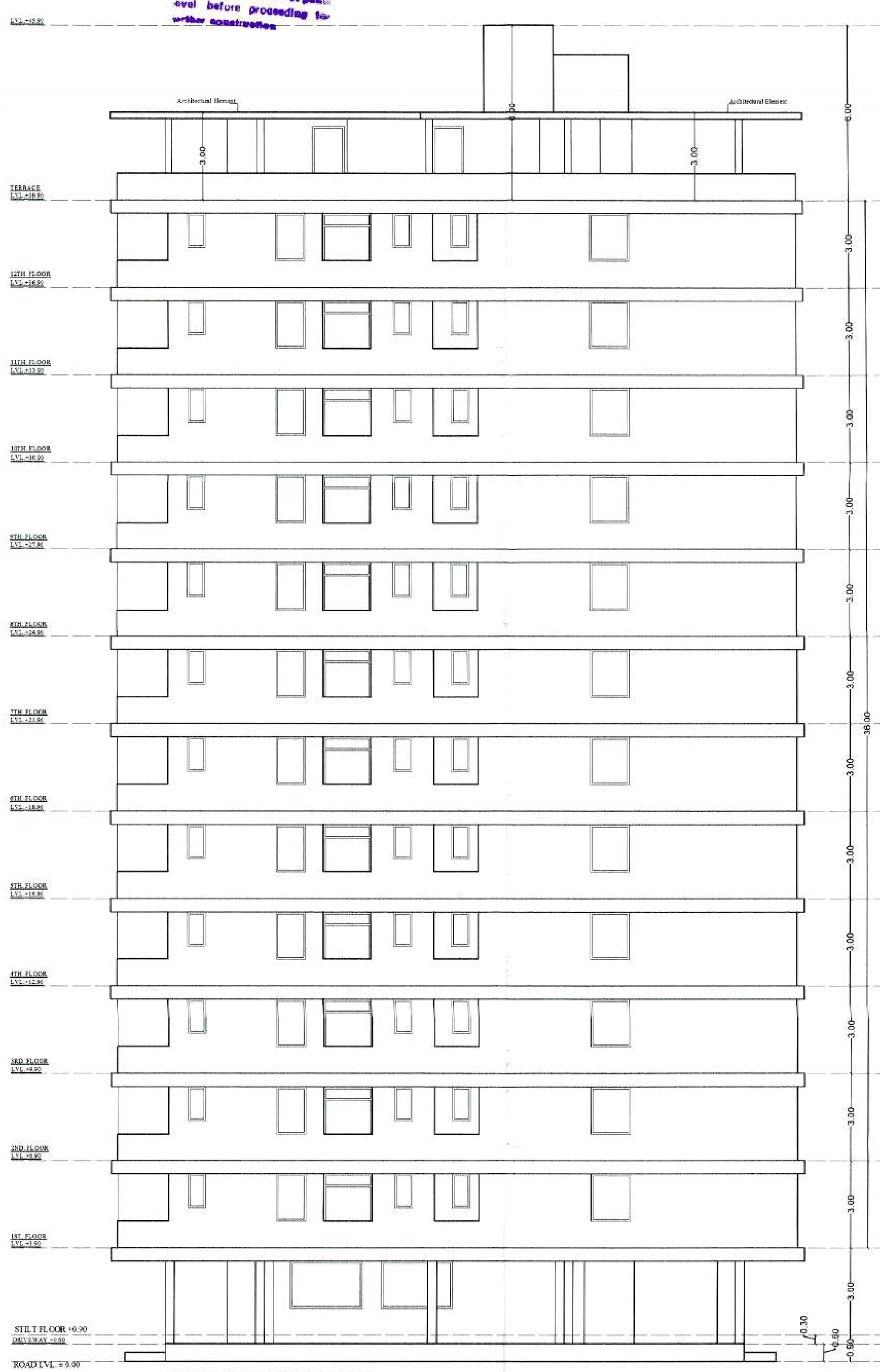

RIGHT ELEVATION

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

OWNER

For M/s KALYAN BUILDERS
Partner

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. NK-18, NK-19, NILAY KUNJ, JAIPUR

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

अनुमोदित

SHEET NO-07

construction checked at plinth level before proceeding for further construction

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

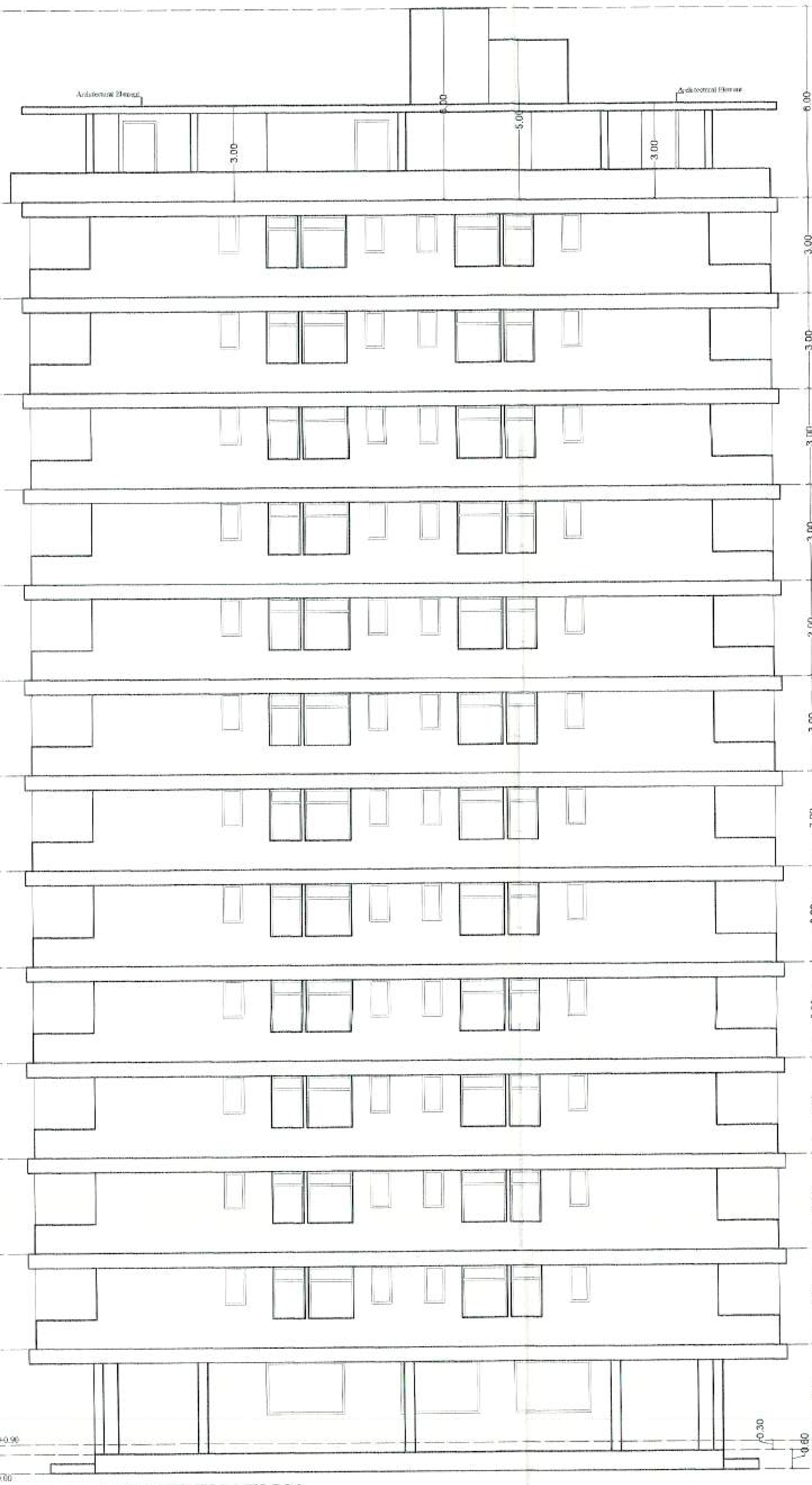

LEFT ELEVATION

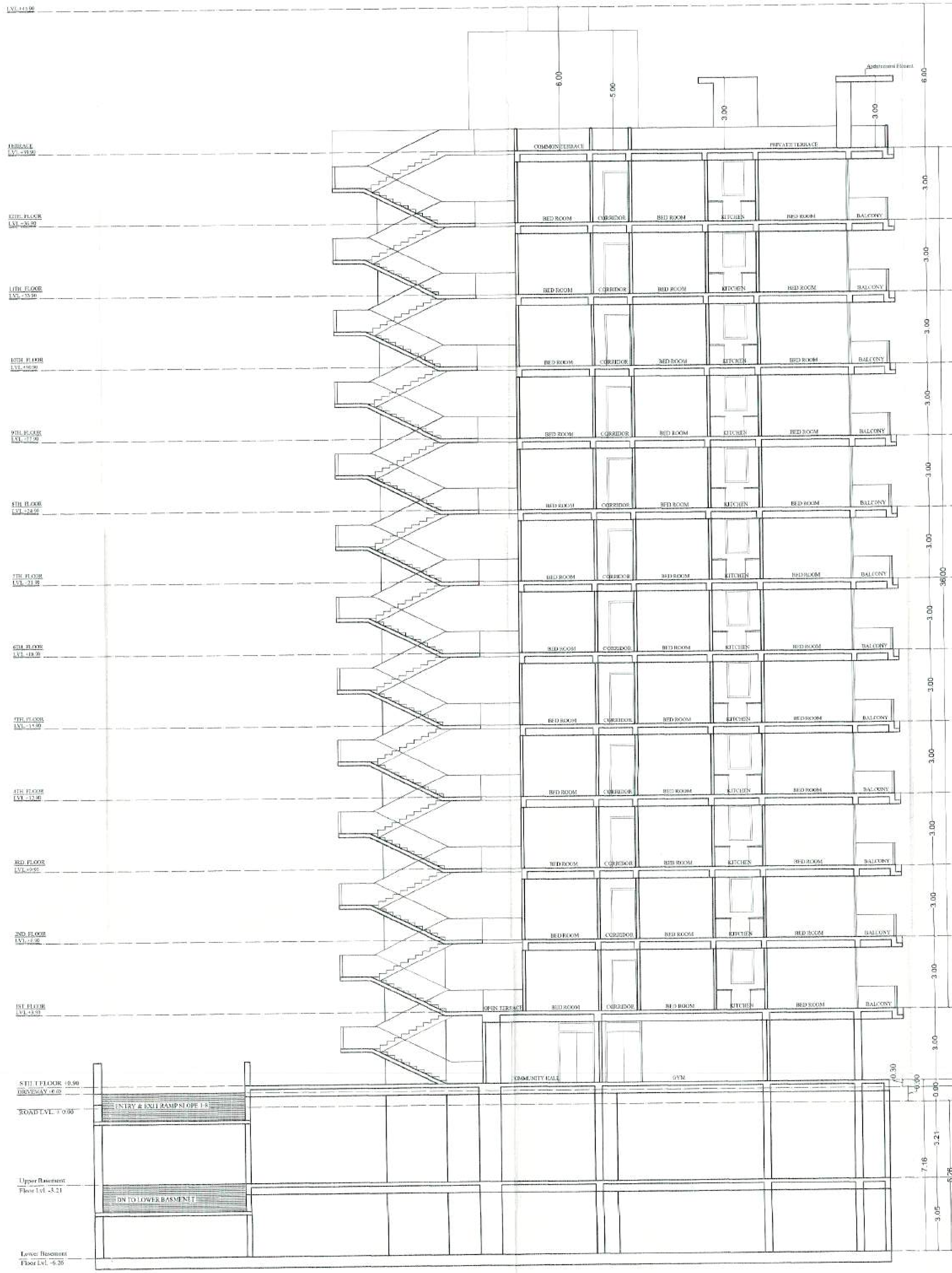

SECTION S2-S2

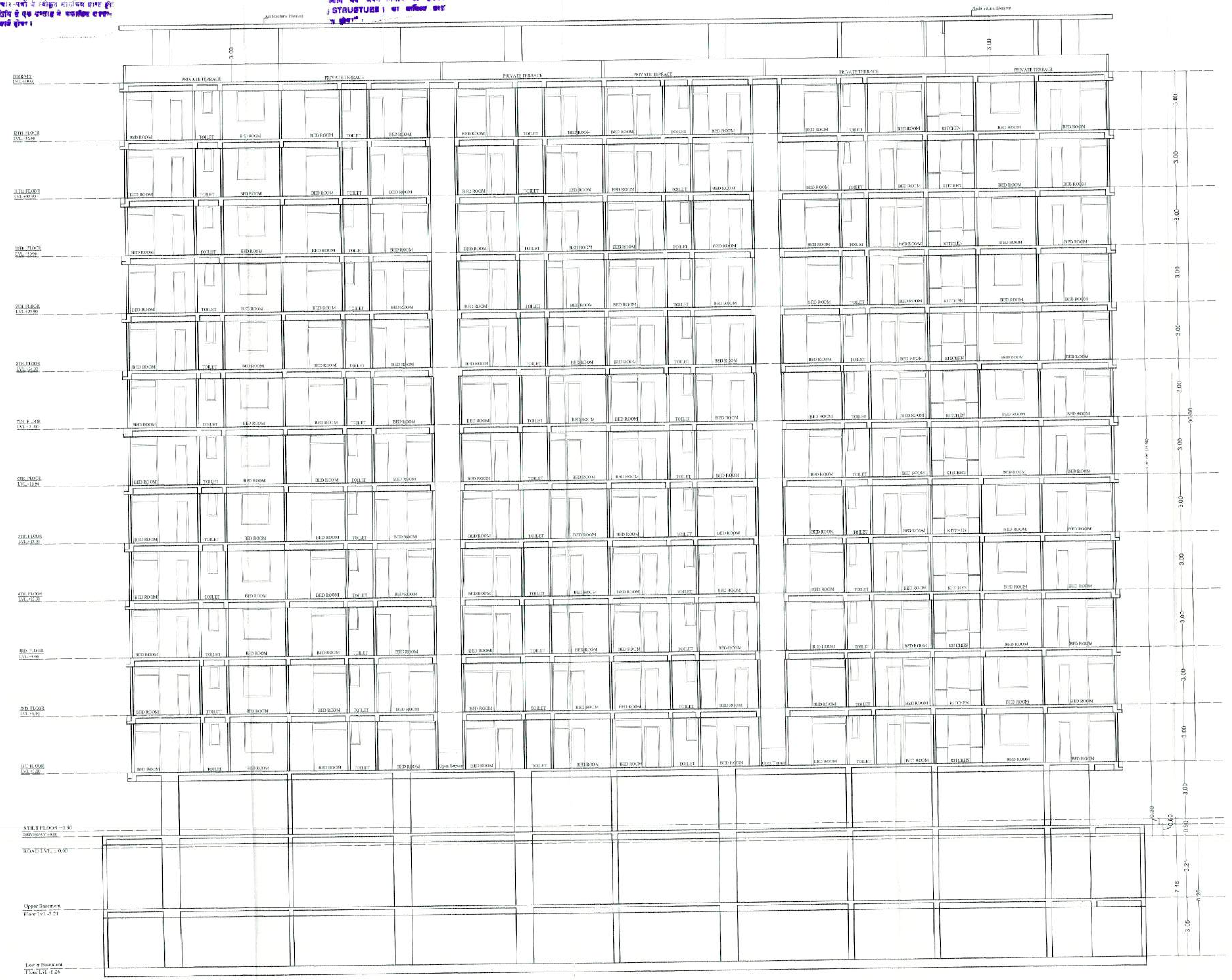

SECTION S1-S1

OWNER

For M/s KALYAN BUILDERS
Partner

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. NK-18, NK-19, NILAY KUNJ, JAIPUR

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG, BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
ARCHITECT